(20) 245

706
6.12.13

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)
सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

20 Rs. COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-20/-

निग. 4458-III-13

काशी प्रसाद नाई पिता स्व0 श्री गैबी प्रसाद नाई उम्र– लगभग 65 पेशा–कृषिकार्य, निवासी ग्राम–सिरमौर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) ....आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. रामसुजान पिता श्री स्व0श्री राममिलन वर्मा उम्र लगभग 55 वर्ष, पेशा–कृषिकार्य निवासी ग्राम–सिरमौर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)
2. शासन मध्यप्रदेश ....अनावेदक / गैरपुनरीक्षणकर्ता

अखिल द्विवेदी एड 6.12.13 के द्वारा आज दि. 3.25 प्रस्तुत किया
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्र0–11/अ74 (निगरानी) 2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2013

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नखित हैं :–

1-- अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला–रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ 74 (निग0) 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21.05.13 विधि, विधान एवं न्यायिक नियमों के सर्वथा प्रतिकूल होने से माननीय न्यायालय द्वारा पूर्णतः निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R4448-III/13 जिला–रीवा

काशी प्रसाद नाई / रामसुजान वर्मा

(1)	(2)	(3)
5.8.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ–74/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	